पत्रांक–जी / नि0सु0अ0–14–27 / 2013............................... /

(11)
आई०टी०प्रबंधक

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव–सह–नियंत्री प्राधिकारी।

सेवा में,

Major Jagjit singh Kalsi,
196, AWHO Colony,
Sector 'A', Gautam Enclave, Secunderabad,
Andhra Pradesh-500019

स्पीड पोस्ट

पटना, दिनांक–................फरवरी, 2016

विषयः– **बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 के तहत राज्य में निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने हेतु आपका आवेदन दिनांक–26.04.2013**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके द्वारा बिहार राज्य के अंतर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन समर्पित किया गया। निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा–7 (4) एवं बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की मांग की गयी।

इस संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आपके द्वारा माह मई, 2013 में एक माह का किराया देकर कार्यालय खोलने हेतु दुकान लिया गया, जो सत्यापन के दौरान बन्द पाया गया तथा वहाँ कोई प्रशिक्षण सुविधा भी नहीं है। अतएव, उनके द्वारा आपको बिहार राज्य में एजेंसी चलाने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

अतः अधिनियम की धारा–7(4) (a) में निहित प्रावधान के तहत आपसे विभागीय पत्रांक–11670 दिनांक–19.10.2015 द्वारा कारण पृच्छा की गयी कि प्रपत्र–V में अंकित कार्यालय सत्यापन के दौरान बन्द पाये जाने, प्रशिक्षण सुविधा न होने तथा सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र न मिलने के कारण क्यो न ही अनुज्ञप्ति हेतु आपका आवेदन दिनांक–26.04.2013 अस्वीकृत कर दिया जाए?

दिनांक–10.11.2015 को समर्पित आपके स्पष्टीकरण के अनुसार :–

1. *आपके द्वारा अप्रैल , 2013 में पटना में शाखा कार्यालय खोला गया। अनुज्ञप्ति निर्गत होने में विलम्ब होने के कारण उक्त शाखा को जारी नहीं रखा जा सका, क्यों कि अनुज्ञप्ति के अभाव में अपके पास कोई व्यवसाय नहीं था।*
2. *आपके द्वारा पटना में शाखा कार्यालय खोलने का अवसर प्रदान किया जाने का आग्रह किया गया है।*

उक्त स्पष्टीकरण को इस आधार पर असंतोषजनक पाया जाता है कि इसमें आपके द्वारा कार्यालय एवं प्रशिक्षण सुविधा मुहैया कराने के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः अधिनियम की धारा–7(4) एवं बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली के नियम 5(3) में निहित प्रावधान के तहत सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने तथा कार्यालय एवं प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अनुज्ञप्ति हेतु आपका आवेदन दिनांक–26.04.2013 **अस्वीकृत** किया जाता है।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव
–सह–
नियंत्री प्राधिकारी।

P.T.O

D/Y/Security Agency/Draft

ज्ञापांकः–............................ पटना, दिनांक–............जनवरी, 2016

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

–सह–नियंत्री प्राधिकारी।

:–.........1006......... पटना, दिनांक–2/2/.....जनवरी, 2016

प्रतिलिपिः– आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 02.02.'16

सरकार के विशेष सचिव

–सह–नियंत्री प्राधिकारी।

2-2-16